संख्या-1003/एक-10-2023-33(04)/2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 12 जुलाई, 2023

विषयः- वज्रपात से होने वाली जनहानि को कम करने हेतु वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किये जाने के अन्तर्गत वर्कशॉप/प्रशिक्षण कार्य कराये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-223/रा०आ०प्र०प्रा०/2023-24, दिनांक-08.06.2023 एवं पत्र संख्या-326/रा०आ०प्र०प्रा०/2023-24, दिनांक-07.07.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वज्रपात से होने वाली जनहानि को कम करने हेतु वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किये जाने के अन्तर्गत वर्कशॉप/प्रशिक्षण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2022-23 में आवंटित रू० 2,58,33,000/- धनराशि के सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा समर्पित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2023-24 में वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत माइकिंग, समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा रेडियो जिंगल के माध्यम से प्रचार-प्रसार संचालित किये जाने एवं वर्कशॉप/प्रशिक्षण कार्य कराये जाने हेतु रू0 1,00,00,000/- आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वज्रपात से होने वाली जनहानि को कम करने हेतु वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत माइकिंग, समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा रेडियो जिंगल के माध्यम से प्रचार-प्रसार संचालित किये जाने एवं वर्कशॉप/प्रशिक्षण कार्य कराये जाने हेतु **रू० 1,00,00,000/- (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2023-24 में राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ, उ० प्र० के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-**

(1) अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।

(2) उक्त कार्यक्रम का फीडबैक लेते हुए कार्यक्रम पर हुए व्यय का जनपदवार मदवार विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(4) स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/ बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(5) इस सम्बंध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक- 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5 , भाग-1 के प्रस्तर -369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या -42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू० 1,00,00,000/- **(रूपये एक करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-0611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(राम केवल)
विशेष सचिव।

<u>संख्याः-1003(1)/एक-10-2023-33(04)/2023 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र०।
3- वरिष्ठ वित एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
6- राजस्व अनुभाग-11, उ०प्र० शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-13/07/2023

प्रेषण संख्या:- 1003
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1003
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	10000000 187529670	10000000 187529670
	योग	वर्तमान प्रगामी	10000000 187529670	10000000 187529670

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह करोड़ पचहत्तर लाख उन्तीस हजार छ: सौ सत्तर

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by akhilesh pratap singh
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
2023.07.13 10:25:11 +05:30